न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 11 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

पप्पुराम पुत्र लिखमाराम जाति प्रजापत निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा हाल बलदेव नगर, बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.बाबुलाल पुत्र लिखमाराम
2.धनराज पुत्र लिखमाराम
3.जगदीश पुत्र लिखमाराम
4.कानाराम पुत्र लिखमाराम जातियान प्रजापत निवासी पचपदरा त. पचपदरा
5.तहसीलदार जरिये भूमिधारक पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 98 / 2019 बअनवान बाबुलाल बनाम धनराज वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री गणपत गुप्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद तामील / सूचना अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांकः— 27.05.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांट की अनुपस्थिति में बमुकाम राजस्व कैंप मंडापुरा में दिनांक 02.10.2021 एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहने बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट ने कभी भी विभाजन हेतु सहमति नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में रेस्पोडेंट के साथ अपीलांट का हिस्सा घोषित नहीं किया गया है, जो एक भारी विधिक भूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी है लेकिन उसके बावजूद भी अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर आपति की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय में हिस्से की घोषणा की गई है उसमें अपीलांट का हिस्सा स्वतः पृथक हो गया है। अपीलाधीन आराजी की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद जमाबंदी संवत 2070 से 2074 में खसरा संख्या 850 के खातेदार धनराज, जगदीश, कानाराम, बाबूलाल, पप्पूराम पि. लिखमाराम दर्ज है जिसमें से धनराज, जगदीश, कानाराम, बाबूलाल प्रत्येक का वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया तथा शेष बदस्तूर रहा जिसमें खातेदार पप्पूराम पि. लिखमाराम शेष रहा। इस प्रकार अपीलाधीन आराजी में अपीलांट पप्पूराम पि. लिखमाराम का भी 1/5 हिस्सा नियत है। उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2019 बअनवान बाबुलाल बनाम धनराज वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रविष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर